

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

मि०न० - 088/2026

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

अनवान : -

1. संदीप कुमार पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी खाराखेड़ा त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. गुडडी देवी पत्नी सोहनलाल जाति जाट निवासी खाराखेड़ा त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. नरेश पुत्र लालचंद जाति जाट निवासी खाराखेड़ा त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. अजय पुत्र लालचंद जाति जाट निवासी खाराखेड़ा त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

1. सोहनलाल पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी खाराखेड़ा त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. लालचंद पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी खाराखेड़ा त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. लिछमा पत्नी नन्दराम जाति जाट निवासी खाराखेड़ा त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. कविता पुत्री सोहनलाल जाति जाट निवासी खाराखेड़ा त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष अधिवक्ता वादी अजय भादू व अरविन्द नैण अधिवक्ता प्रतिवादी की उपस्थिति में प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि वादीगण व प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है -

क. वादी सं० 1 संदीप कुमार को प्राप्त आराजी :- चकनं० 8 केएचआर के प०न० 217/215 मु० 33 किलानं० 8/.253, 13/.253, 14/.253, 15/.228, 16/.026 है० उतर दिशा, 17/.026 है० उतर दिशा, प०न० 218/216 मु० 43 किलानं० 13/.051 है० दक्षिण पश्चिम दिशा में पश्चिम से पूर्व 50 फुट व दक्षिण से उतर 108.09 फुट कुल 1.090 है०

ख. वादीया सं० 2 गुडडी देवी को प्राप्त आराजी :- चकनं० 8 केएचआर के प०न० 218/215 मु० 34 किलानं० 9/.253, 12/.253, प०न० 217/215 मु० 33 किलानं० 6/.228, 7/.253 कुल 0.987 है०

ग. वादीसं० 3 नरेश को प्राप्त आराजी :- चकनं० 8 केएचआर के प०न० 218/216 मु० 43 किलानं० 16/.215, 17/.253, 18/.172 पूर्वी दिशा, प०न० 217/215 मु० 33 किलानं० 16/.202 है० दक्षिण दिशा, 17/.227 है० दक्षिण दिशा कुल 1.0685 है०

घ. वादीसं० 4 अजय को प्राप्त आराजी :- चकनं० 8 केएचआर के प०न० 218/216 मु० 43 किलानं० 7/.253, 8/.253, 14/.253, 18/.081 है० पश्चिम दिशा में 13/.202 है० संदीप के हिस्सा को छोड़कर कुल 1.042 है०

इ.प्रतिवादीगण सं० 1 ता 3 को ब०हि०ब० प्राप्त आराजी :- चक नं० 8 केएचआर के प०न० 217/215 मु० 33 किलानं० 6/2/.025 है० गै०मु० खाला, 15/2/.025 है० गै०मु० खाला, 16/2/.025 है० गै०मु० खाला कुल 0.075 है० गै०मु०। इसी अनुसार चकनं० 8 केएचआर के खाता सं० 138/122 में से प्रतिवादीगण सं० 1 ता 3 का हिस्सा कम इसी चक के खाता सं० 139/143 में से प्रतिवादीगण सं० 1 ता 3 का नाम कलमजन किया जाकर यदि कृषि भूमि पर बैंक रहन व किसी सक्षम न्यायालय का रथगन आदेश न हो तो राजस्व रिकोर्ड में अंकन कर रिकोर्ड दुरुस्त किया जावें। खर्चा उभयपक्ष अपना-अपना वहन करें।

आज यह पर्चा डिक्री दिनांक 19/3/26 मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गई।



27  
सत्यनारायण आर.ए.एस.  
पतेन माहायक कलेक्टर  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
टिब्बी जिला हनुमानगढ़  
R.A.S.

